

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मु. नं 51/16 तारीख 27 जू 9-6-16

उत्तवान - बाबू बनाम बोदया मीना को
गाजीपुर

दावा बाबत स्थायी निवेधाना

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा ने दावा बाबत
स्थायी निवेधाना पेश किया। प्रस्तुत शपथपत्र
व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज
रजिस्टर कर प्रतिवादीवच को सम्मन से तलब कर
दिनांक 20-6-16 को पेश हो।

1475-79
10/6/16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

20.6.16

वादी वकील उपज। प्रतिवादीवच की ओर से श्री राधा
रमण शर्मा Adv. ने क्वालतनामा पेश किया।
जबाब पेश करने समय चाहा। दिया गया। वास्ते
जबाब पेश करने दिनांक 14.7.16 को पेश हो।

4.8.16

जनरल पेशी से पेश हुई। बकुलाय उपज। जबाब पेश
करने समय चाहा। वास्ते जबाब दिनांक 9.9.16 को पेश
हो।

बकुलाय उपजित। जबाब के लिए समय चाहा दिया गया
वास्ते जबाब दिनांक 13.10.16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
13-10-16	<p>वकुलाय उपस्थित/पीएसन अधिकारी <u>करोली</u> <u>पटवार</u> है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>10-11-16</u> को पेश हो।</p>
10-11-16	<p>वकुलाय उप०/ काले जब्ब दिनांक 15-12-16 को पेश हो।</p>
15-12-16	<p>वकुलाय उप०/ जब्ब पेश करने समय चाला/एकमौबा डोंर दिया जाता है दिनांक 19-1-17 को पेश हो।</p>
19-1-17	<p>वकुलाय उप०/ जब्ब पेश काले पर्याप्त समय दिये जोन पर भी समय चाला/सुगम न्यायस्थित में एक डोंरिग प्रौढ दिया जाता है पेश करने जब्ब दिनांक 9-2-17 को पेश हो।</p>
9-2-17	<p>वकुलाय उप०/ गतानुसार दिनांक 2-3-17 को पेश हो।</p>
23/17	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक <u>24-3-17</u> को पेश हो।</p>
24-3-17	<p>वकुलाय उप०/ जब्ब पेश काले पुनः समय चाला जब्ब पेश करने पर्याप्त समय दिया जा चुका है न्यायस्थित में एक डोंरिग डोंरिग 7 दिन का दिया जाता है जब्ब पेश करने दि. 31-3-17 को पेश हो।</p>

9

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

31.3.17

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 13.4.17 को पेश हो।

13-4-17 वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी वकील को हिकयत दी जाती है कि ब्यापहित में एक मोका और दिया जाता है। वास्तुजबाब दिनांक 28.4.17 को पेश हो।

28.4.17

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील उपस्थित नहीं थी। कई बार आवाज दिलाई कि प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादी गण में से कोई भी उपस्थित नहीं थी इसलिए प्रतिवादी गण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्तुजबाब दिनांक 1.6.17 को पेश हो।

1.6.17

पत्रावली राजस्व लोकादालत न्याय आपके द्वारा कैम्प करीरी में पेश हुई। वादी ने जो पत्र प्राप्त करने से नकारा कि कोई लाभीत कार्रवाई नहीं की है सूचना प्रकी जाती है। अक्सर सूचना वादी व वादी वकील में से कोई भी उपस्थित नहीं थी। अतः अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुभण होकर नम्बाले कम होकर दाखिल दफ्त हो।